प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
   प्र.इ.रि.स 102/23 दिनांक 01/5/2023
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 14 समय 10:00 Am
   (2) अपराध के घटने का दिन शुक्रवार दिनांक 27.01.2023 समय 7.55 पी.एम.
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 27.01.2023 समय 02.30 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – टाईपशुदा
5. घटना स्थल : –
   (1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 550 किलोमीटर
   (2) पता – पुलिस थाना ओगणा जिला उदयपुर।
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
   <u>परिवादी</u>
   (1) नाम : श्री फतहलाल भगोरा
   (2) पिता का नाम : श्री भैराजी भगोरा
   (3) आयु : 42 वर्ष
   (4) राष्ट्रीयता : भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
   (6) व्यवसाय : मजदूरी
   (7) पताः ओडा कालीगार तहसील झाडोल जिला उदयपुर
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहितः
   1. श्री गणेशलाल पुत्र श्री रोडीलाल उम्र 51 वर्ष निवासी गांव ओगणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर हाल लांगरी पुलिस थाना ओगणा जिला उदयपुर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विषिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा		परिवादी श्री फहतलाल के पुत्र श्री सोहन को लूट के मुकदमें में झूठा नहीं फंसाने के नाम पर परिवादी से श्री गणेशलाल लांगरी ने थानाधिकारी के नाम से दिनांक 27–1–2023 को 25,000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा तत्पश्चात आरोपी श्री गणेशलाल को ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करना पाया गया है।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 25000 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय ,

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 27–1–2023 को समय करीब 2.30 पीएम पर परिवादी श्री फतहलाल पुत्र श्री भैराजी भगोरा निवासी ओडा (कालीगार) पुलिस थाना ओगणा जिला उदयपुर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पर उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक को एक टाईपशुदा रिपोर्ट मय हस्ताक्षरशुदा प्रस्तुत की। रिपोर्ट का अवलोकन कर मन् पुलिस निरीक्षक

के द्वारा उच्चाधिकारी महोदय को हालात से अवगत कराया। जिस पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी से प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में मजीद दरियाफ्त की गयी तो परिवादी ने बताया कि "पुलिस थाना ओगणा से कुछ पुलिसवाले दिनांक 25–1–2023 को घर पर आकर मेरे बेटे सोहन को थाने ले गये। जिसके लिए मैं दिनांक 26–1–2023 को थाने पर जाकर थानेदार साहब से मिला तो उन्होंने मेरे बेटे को छोडने के लिए खर्चेपानी के 25,000 रूपये रिश्वत के मांगे और साथ ही थानेदार साहब ने यह भी कहा कि तू हमारे थाने के लांगरी गणेशलाल से बात कर लेना मैंने उसको बता दिया है। अगर तूने खर्चेपानी के पैसे नहीं दिये तो तेरे बेटे को लूट के मुकदमे में झूठा फंसा देंगे। थानेदार साहब ने थाने में बैठा रखे मेरे बेटे सोहन से मिलवाया था। जिसके बाद मैं घर आ गया। जिस पर आज दिनांक 27–1–2023 को दोपहर में मेरे मोबाइल की बेट्री डिस्चार्ज होने से मोबाइल स्वीच ऑफ हो गया था। जिस दौरान मेरे बेटे संतोष के मोबाइल नम्बर 6377534269 पर थाने से मोबाइल नम्बर 9636487688 से फोन आया और मुझे कहा कि मैं ओगणा थाने से गणेशलाल लांगरी बोल रहा हूँ कल तू साहब से मिलकर आया था साहब से मेरी बात हो गई है उन्होंने तेरे बेटे सोहन को छोडने के लिए 25,000 रूपये खर्चेपानी के मांगे है और तू साहब से मत मिलना क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि तू ही बात करके रूपये ले लेना। मैं थानेदार साहब को अपने जायज काम के बदले थाने के लांगरी श्री गणेशलाल के माध्यम से रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। मेरे बेटे सोहनलाल को थानेदार साहब ने बिना किसी अपराध के दिनांक 25–1–2023 से थाने में ही बंद कर रखा है। थानेदार साहब रामनारायण जी एवं लांगरी श्री गणेशलाल को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ।" तत्पश्चात् समय करीब समय 3.50 पीएम पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरियाफ्त से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय की अलमारी से डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाकर परिवादी को उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि को भलीभांति समझाया गया। इसके उपरान्त ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री टीकाराम कानि. एवं श्री सुरेश कानि को तलब कर परिवादी श्री फतहलाल से परिचय करवाया गया तथा परिवादी के साथ श्री टीकाराम कानि. एवं श्री सुरेश कानि को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तथा सदिग्ध व्यक्ति की आम शोहरत की जानकारी भी कर लाने की हिदायत देकर परिवादी श्री फतहलाल के साथ श्री टीकाराम कानि. एवं श्री सुरेश कानि मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के निजी वाहन से रिश्वत राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतु ब्यूरो कार्यालय से ओगणा के लिए रवाना किये गये। तत्पश्चात् समय करीब 7.55 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा अपने मोबाइल फोन से श्री सुरेश कानि के मोबाइल फोन पर वार्ता की तो श्री सुरेश कानि ने बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं तथा टीकाराम कानि. मय परिवादी के कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 5.52 पीएम पर ओगणा थाने के पास पहुंच परिवादी को मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुरक्षित हालात में संभलाया जाकर पुलिस थाना ओगणा के लिए रवाना किया गया। मैं तथा टीकाराम अपनी उपस्थिति छिपाते हुए ओगणा थाने के पास ही कुछ दूरी पर परिवादी के आने के इंतजार में रहे। करीब 1 घंटे बाद परिवादी थाने से बाहर आकर मेरे से मिला और डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू हालत में दिया जिसे मैंने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मैं थाने में गया तो थाना परिसर में थानेदार साहब मिले, उनके पास अन्य पुलिसवाले भी खडे थे। थानेदार साहब ने मुझसे पूछा कि तू कहा से आया है और किससे मिलना है तू फोन किसको लगा रहा है कि तो परिवादी ने कहा कि साहब थाने से ही मेरे मोबाइल पर फोन आया और कहा कि थाने पर आकर अपने बेटे को छुडाना हो तो थाने पर आकर मिलो। जिस पर थानेदार साहब ने कहा कि आप कौन हो तो मैंने कहा कि मैं सोहन का पिता हूँ। थानेदार साहब ने मुझे कहा कि किस नम्बर से तेरे पास फोन आया है नम्बर बता तो मैंने मोबाइल नम्बर 9636487688 बताये। इस नम्बर के बारे में पास में ही खडे जाप्ते से पूछा तो उक्त नंबर थाने के लांगरी गणेशलाल के होना बताया और ये भी कहा कि तेरा लडका सोहन थाने में बंद है। उस वक्त थानेदार साहब ने मेरे से रिश्वत के संबंध में कोई बात नहीं की और मुझे जाने का ईशारा किया। जिस पर मैं थाने के गेट के पास आकर मेरे मोबाइल नम्बर 9950544280 से अपने फोन का

स्पीकर ऑन कर थाने के लांगरी गणेशलाल के मोबाइल नम्बर 9636487688 पर बात की तो गणेशलाल ने मुझे कहा कि तू डायरेक्ट ही थाने पर क्यों आया, मैंने तेरे को बोला था कि पहले मेरे को फोन करता तो मैं तेरे को एसआई साहब से मिलाता और तेरे बेटे सोहन को छुडवा देता। तूझे सीधे ही नहीं मिलना था। मेरी एसआई साहब से बात हो रखी थी। साहब कोई डायरेक्ट ही बात करते है क्या, एसआई ने मुझे कहा कि सोहन के पिता से तू खर्चेपानी के 25000 रूपये की बात कर लेना तभी सोहन को छोडेंगे। श्री गणेशलाल लांगरी ने परिवादी से उसके बेटे को किसी मुकदमे में नहीं फंसाने की एवज में एसआई के लिए 25,000 रूपये रिश्वत राशि कल दिनांक 28–1–2023 को लेकर आने की मांग की। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक की श्री सुरेश कानि ने अपने मोबाइल से परिवादी से वार्ता करायी तो परिवादी ने उपरोक्त कथनों की ताईद की। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सुरेश कानि को हिदायत दी गयी कि परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो को सूचित करने की हिदायत देकर रूखसत करे। श्री टीकाराम कानि एवं श्री सुरेश कानि को मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात् समय करीब 9.00 पीएम पर श्री टीकाराम कानि एवं श्री सुरेश कानि मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुए। श्री सुरेश कानि ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया। जिसमें रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो श्री सुरेश कानि एवं परिवादी के कथनो की ताईद हुई।

परिवादी के बेटे को किसी मुकदमे में नहीं फंसाने की एवज में श्री रामनारायण एसआई (थानाधिकारी) ने अपने थाने के लांगरी श्री गणेशलाल के मार्फत 25,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि हुई। हालात उच्चाधिकारी महोदय को निवेदन कर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किये गये। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। आईन्दा परिवादी एवं गवाहान के उपस्थित होने पर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की जाएगी।

तत्पश्चात् दिनांक 28–1–2023 को समय करीब 8.00 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री फतहलाल के मोबाइल पर जरिये दूरभाष वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि थानेदार साहब को गणेशलाल लांगरी के माध्यम से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 13,000 रूपये की ही व्यवस्था मुझसे हो पायी है। गणेशलाल ने रूपये लेकर आज ही थाने पर बुलाया है। जिस पर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित होने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि यदि मैं अभी मेरे गांव से उदयपुर आपके कार्यालय आउंगा तो इसमें काफी समय लगने की संभावना है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी को हिदायत दी गयी कि ओगणा कस्बे से पहले उपस्थित मिले। मैं शीघ्र ही ट्रेप पार्टी के पहुंच रही हूँ। तत्पश्चात् समय करीब 9.15 एएम पर उक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता है लेकिन आज राजपत्रित अवकाश होने के कारण राजकीय कार्यालय बंद है। जिस पर नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के संबंधित अधिकारी से जरिये दूरभाष वार्तालाप कर दो राजपत्रित अधिकारी/कर्मचारीगण को तुरन्त ही ब्यूरो के कार्यालय में भिजवाये जाने हेतु निवेदन किया गया और गवाह की तलबी हेतु तेहरीर जारी की गयी। तत्पश्चात् समय करीब 11.15 एएम पर दृष्टांत फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक प्रतिक्रिया परिवादी की उपस्थिति में ही प्रदर्शित की जानी है। इस हेतु श्री मांगीलाल कानि को कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया जाकर श्री मांगीलाल कानि से फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को टैक्सी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवायी जाकर श्री मांगीलाल कानि के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं आरोपी के द्वारा परिवादी से आज ही रिश्वत राशि लेकर पुलिस थाने पर बुलाया है और स्वतंत्र गवाह के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने से समय लगने की संभावना है। मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो टीम के सदस्य श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि., श्री करणसिंह हैड कानि, श्री सुरेश जाट कानि. अन्य टेक्सी वाहन से ओगणा की ओर रवाना करते हुए मन् पुलिस निरीक्षक, श्री टीकाराम कानि, श्री अशोक कुमार कानि, श्री मांगीलाल कानि, श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स के जरिये टेक्सी वाहन से ब्यूरो कार्यालय उदयपुर से नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के लिए रवाना हुए। तत्पश्चात् समय करीब 11.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री टीकाराम कानि, श्री अशोक कुमार

कानि, श्री मांगीलाल कानि, श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स के जरिये टेक्सी वाहन से नगर विकास प्रन्यास उदयपुर पहुंच तेहरीर दे श्री भगवतीलाल कनिष्ठ सहायक एवं श्री मांगीलाल वरिष्ठ सहायक, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को हमराह ले ओगणा की तरफ रवाना हुए। तत्पश्चात् समय करीब 1.00 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयानों के रवानाशुदा ओगणा कस्बे से करीब 1 किलोमीटर पूर्व स्थित तिराहे पर पहुंचे। जहां पर श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता वाहन के उपस्थित मिले। जहां पर टेक्सी वाहन को खडा किया। जहां पर परिवादी के आने का इंतजार करने लगे। करीब 10 मिनट बाद पूर्व में पाबंदशुदा परिवादी उपस्थित आया। जहां परिवादी का परिचय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ते से कराया। ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में श्री मांगीलाल वरिष्ठ सहायक एवं श्री भगवतीलाल कनिष्ठ सहायक को बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने हेतु सहमति चाही गयी तो हर दोनो ने मौखिक सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात परिवादी के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढकर सुनाया गया एवं पढाया गया तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र शब्द ब शब्द सही होना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने भी अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् समय करीब 1.20 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी के मध्य दिनांक 27–1–2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की वार्तालाप जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को चलाकर सुनाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने भी रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना बताया। की। उपरोक्त वार्तालाप की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की जाएगी। तत्पश्चात् समय करीब 2.20 पीएम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री फतहलाल से आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपनी पेंट की दाहिनी जेब में से 500–500 रूपये को 26 नोट कुल राशि 13,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये। परिवादी श्री फतहलाल के द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री मांगीलाल कानि से टेक्सी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त नोटों पर अलग–अलग दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री फतहलाल की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर से लिवाई गयी। तत्पश्चात फिनोफ्थेलीन पाउडर लगे उक्त नोटों को श्री मांगीलाल कानि से ही परिवादी श्री फतहलाल की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री सुरेश कानि से एक साफ कॉच के गिलास में टेक्सी वाहन में उपलब्ध पीने युक्त पानी को उक्त साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री मांगीलाल कानि की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपीगण द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थेलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीगण ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री मांगीलाल कानि. से फिकवाया गया तथा अखबार को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री मांगीलाल कानि के पास ही सुरक्षित रखवायी गयी। उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपीगण के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह

निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री सुरेश कानि0 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपीगण के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री फतहलाल को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपीगण से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री मांगीलाल कानि. को ओगणा कस्बे से पूर्व स्थित तिराहे पर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई तथा उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् समय करीब 2.50 पीएम पर आरोपी की लोकेशन जानने हेतु परिवादी के मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन करा परिवादी के मोबाइल नम्बर 9950544280 से आरोपी गणेश के मोबाइल नम्बर 9636487688 पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता करायी जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा मूर्तिब की जाएगी। तत्पश्चात् समय करीब 4.05 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, हमराही ब्यूरो जाप्ते एवं श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक एवं उनके साथ आये ब्यूरो जाप्ते के पुलिस थाना ओगणा की ओर रवाना हुए। तत्पश्चात् समय करीब 4.15 पीएम पर सभी रवानाशुदा कस्बा ओगणा पहुंच वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को रिश्वत राशि लेनदेन के वक्त होने वाली वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की हिदायत देते हुए परिवादी को पुलिस थाना ओगणा के लिए रवाना किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाप्ता पुलिस थाने के आसपास अपनी अपनी उपस्थिति छिपाये हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहे। तत्पश्चात् समय करीब 5.30 पीएम पर परिवादी को रिश्वत राशि लेनदेन हेतु पुलिस थाना ओगणा में भिजवाया गया था जो इस समय बिना कोई ईशारा किये मन् पुलिस निरीक्षक के पास आकर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर प्रस्तुत किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार टेप रिकॉर्डर को चालू करके अपने पास सुरक्षित रख पुलिस थाना में गया जहां पर थानेदार साहब थाने परिसर के अंदर मेन गेट पर मिले। जिन्होंने वहां पर पूर्व से बंद मेरे बेटे से मिलवाया और कहा कि कल तेरे बेटे को कोर्ट में पेश करेंगे और मै कुछ समय थाना परिसर में ही रूका फिर मुझे थाने से जाने के लिए कहा। थाना परिसर में गणेशलाल नहीं मिला। जिस पर मैं थाने से रवाना होकर आपके पास आया हूँ। मेरी थाने में जो वार्ता हुई है उसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। जिस पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा मूर्तिब की जाएगी। तत्पश्चात् समय करीब 5.40 पीएम पर परिवादी के मोबाइल फोन से आरोपी गणेश के मोबाइल फोन पर वार्ता कराने की कोशिश की तो गणेशलाल ने फोन रिसीव नहीं किया। तत्पश्चात् समय करीब 5.50 पीएम पर आज दिनांक को आरोपीगणों के द्वारा रिश्वत नहीं ली गयी। कल दिनांक 29–1–2023 को परिवादी के पुत्र को तहसील झाडोल स्थित कोर्ट में पेश करने के दौरान रिश्वत राशि ग्रहण करने की संभावना है। जिस पर आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि जो परिवादी की जेब में रखवायी गयी थी। उक्त राशि को स्वतंत्र गवाह श्री भगवतीलाल से निकलवायी जाकर एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवायी जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवायी गयी। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को भी कल दिनांक 28–1–2023 को प्रातः करीब 10 बजे झाडोल तहसील कार्यालय के बाहर मिलने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देते हुए ओगणा से घर के लिए रूखसत किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 6.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह एवं ब्यूरो जाप्ता मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधन के कस्बा ओगणा से रवाना हो कस्बे से बाहर स्थित तिराहे पर पहुंच श्री मांगीलाल कानि को साथ ले ब्यूरो कार्यालय उदयपुर के

लिए रवाना हुए। तत्पश्चात् समय करीब 7.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता टेक्सी वाहनों के इस समय ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पहुंचे। श्री मांगीलाल कानि के पास सुरक्षित रखी फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को मालखाने में रखवायी गयी। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ते को दिनांक 29–1–2023 को प्रातः 8.00 बजे ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 29–1–2023 को समय करीब 8.00 एएम पर पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह श्री भगवतीलाल, श्री मांगीलाल बुनकर एवं ब्यूरो जाप्ता उपस्थित कार्यालय हुआ। तत्पश्चात् समय करीब 8.10 एएम पर श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू, उदयपुर से उच्चाधिकारी महोदय के निर्देश पर उक्त कार्यवाही मे इमदाद हेतु उपस्थित कार्यालय हुए। तत्पश्चात् समय करीब 8.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री भगवतीलाल, श्री मांगीलाल बुनकर एवं ब्यूरो जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि., श्री करणसिंह हैड कानि, श्री सुरेश जाट कानि., श्री टीकाराम कानि, श्री अशोक कुमार कानि, श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स के जरिये टेक्सी वाहनों से झाडोल (फ) के लिए रवाना हुए। तत्पश्चात् समय करीब 9.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री भगवतीलाल, श्री मांगीलाल बुनकर एवं ब्यूरो जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि., श्री करणसिंह हैड कानि, श्री सुरेश जाट कानि., श्री टीकाराम कानि, श्री अशोक कुमार कानि, श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक लेपटॉप, प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स के जरिये टेक्सी वाहनों से झाडोल (फ) के लिए रवाना हुए। तत्पश्चात् समय करीब 10.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री भगवतीलाल, श्री मांगीलाल बुनकर एवं ब्यूरो जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि., श्री करणसिंह हैड कानि, श्री सुरेश जाट कानि., श्री टीकाराम कानि, श्री अशोक कुमार कानि, श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक लेपटॉप, प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स के जरिये टेक्सी वाहनों से झाडोल (फ) स्थित तहसील कार्यालय के बाहर पहुंचे। कुछ देर इंतजार करने के बाद परिवादी एवं उसके साथ उसका भतीजा श्री वजाराम उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि मेरे द्वारा करायी जा रही ट्रेप कार्यवाही के बारे में मेरे भतीजे को भी बता दिया है। वो भी मेरे साथ ही रहेगा। साथ ही परिवादी ने यह भी बताया कि मेरे बेटे को थाने से पेश करने के लिए झाडोल लेकर आ रहे है। आरोपीगणों के द्वारा परिवादी से मिलने पर उनके द्वारा रिश्वत ली जाने की संभावना है। जिस पर श्री सुरेश कानि से परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब की तलाशी लिवायी गयी तो जेब खाली होना पाया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में पूर्व में रखी फिनोफ्थेलीन पाउडर लगे नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री भगवतीलाल से निकलवायी जाकर परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवायी गयी। स्वतंत्र गवाह एवं ब्यूरो जाप्ते के हाथ वाहनों में रखे पीने युक्त साफ पानी एवं साबुन से हाथ धुलवाये गये। परिवादी को थाने से उसके बेटे को लेकर पेश करने हेतु आने पर सूचित करने एवं डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू बंद करने की मुनासिब हिदायत देते हुए परिवादी तथा उसके भतीजा श्री वजाराम को तहसील कार्यालय की ओर रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयानों के तहसील कार्यालय के आसपास ही अपनी उपस्थिति छिपाये हुए परिवादी की सूचना एवं ईशारे के इंतजार में रहे। तत्पश्चात् समय करीब 2.40 पीएम पर पुलिस जीप तहसील कार्यालय के बाहर मैनरोड पर आकर खडी हुई। जिसमें तीन वर्दीधारी पुलिसकर्मी एवं सादा वस्त्र में एक व्यक्ति उतरा। जिस पर परिवादी उनके पास पहुंच उनसे साथ–साथ तहसील कार्यालय परिसर की ओर गये। तत्पश्चात् समय करीब 3.30 पीएम पर परिवादी श्री फतहलाल बिना कोई ईशारा किये मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया, जिसे बंद किया गया। परिवादी ने बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं तहसील कार्यालय के बाहर ही मेरे बेटे के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ओगणा थाने से पुलिस वाले जीप में मेरे बेटे को लेकर आये थे ओगणा थाने की जीप में एक ड्राईवर और दो अन्य पुलिसवाले आये थे। रामनारायण जी थानेदार साहब एवं गणेशलाल नहीं आये थे। मैंने मेरे हिसाब से ब्यूरो का टेप रिकॉर्डर चालू कर अपने पास रख लिया था। मैं पुलिस वालों से मिला। पुलिसवाले तहसील में पेश

करने की बात कर रहे थे जिस पर हम भी उनके साथ–साथ तहसील कार्यालय में गये। मैंने मेरे बेटे की जमानत के लिए वकील कर दिया था। पुलिसवालों ने मेरे बेटे को तहसील कार्यालय में बडे साहब को पेश किया। जिस पर मेरे बेटे को जमानत पर छोड दिया। मेरे भतीजे ने वकील साहब को कागजों के 400 रूपये दिये थे, जो रिश्वती राशि नहीं होकर भतीजे ने अपनी जेब से दिये थे, उन 400 रूपये में से 200 रूपये वकील साहब ने पुलिसवालों को अपनी खुशी से दिये। पुलिस वालो ने मेरे से रिश्वत की मांग नहीं की और ना ही मेरे द्वारा रिश्वती राशि दी गई। रामनारायण जी थानेदार साहब एवं गणेशलाल नहीं आये जिससे मुझे लगता है कि वो काफी सावधानी बरत रहे है। वो रिश्वत राशि के संबंध में मेरे से बाद में संपर्क कर सकते है, क्योंकि दिनांक 25–1–2023 से मेरे बेटे को बिना किसी जुर्म के रिश्वत लेने की नियत से थाने में बैठा रखा था और गणेशलाल के मार्फत ही मेरे से रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे मेरे बेटे को लूट के मुकदमें में झूठा फंसाने की लगतार धमकीयां देकर मुकदमें से बचाव के रूप में मेरे से खर्चेपानी के 25000 रूपये रिश्वत राशि गणेशलाल के मार्फत मांग रहे थे और कल दिनांक 28–1–2023 को मैंने गणेशलाल से मिला था तो थानेदार साहब ने थाने में बंद मेरे बेटे से मिलवाया और मुझे कहा कि तेरे बेटे को कल झाडोल तहसील में पेश कर दूंगा आदि कहा, किन्तु आज वो स्वयं पेश करने वो स्वयं नहीं आकर दूसरे पुलिस वालो को भेजा है। वो मेरे से रिश्वत राशि के संबंध में बाद में संपर्क कर सकते है। तत्पश्चात् समय करीब 4.30 पीएम पर आरोपी के द्वारा आज दिनांक को परिवादी से रिश्वत नहीं ली और ना ही उससे संपर्क किया है। जिस पर परिवादी की जेब में रखवाये गये फिनोफ्थेलीन पाउडर लगे नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल से निकलवाये जाकर एक सफेद लिफाफे में रख ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। सायंकाल होने से परिवादी को हिदायत दी गयी कि जब भी गणेशलाल लांगरी अथवा थाने का अन्य कोई कार्मिक रिश्वत लेनदेन के संबंध में संपर्क करे तो इसकी सूचना तत्काल ब्यूरो को देवें। बाद हिदायत परिवादी को मौके से रूखसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयानों के झाडोल से उदयपुर के लिए रवाना हुए। तत्पश्चात् समय करीब 6.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के टेक्सी वाहनों से ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पहुंचे। ट्रेप बॉक्स, डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित अलमारी में रखवाया गया। आरोपी के द्वारा परिवादी से आगे भी रिश्वत ली जाने की संभावना है। आईन्दा परिवादी के द्वारा इसके संबंध में कोई सूचना ब्यूरो को दी जाएगी तो उस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। स्वतंत्र गवाहान को भी गोपनीयता बरतने एवं जब भी ब्यूरो के द्वारा तलब किया जाये तो अपनी उपस्थिति तुरंत ब्यूरो कार्यालय को देने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। इमदाद हेतु उपस्थित आये श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक को ब्यूरो चौकी एसयू उदयपुर में उपस्थिति देने हेतु रूखसत किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 4–2–2023 को समय करीब 1.01 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने जरिये दूरभाष परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि थानेदार साहब और गणेश लांगरी ने अब तक मेरे से कोई संपर्क नहीं किया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी को हिदायत दी गयी कि जब भी श्री रामनारायण उपनिरीक्षक अथवा श्री गणेश लांगरी संपर्क करे तो तत्काल इसकी सूचना ब्यूरो को देवे।

तत्पश्चात् दिनांक 9–2–2023 को समय करीब 10.46 एएम पर परिवादी ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस निरीक्षक से वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि थानेदार साहब और गणेश लांगरी ने अब तक मेरे से कोई संपर्क नहीं किया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी को हिदायत दी गयी कि जब भी श्री रामनारायण उपनिरीक्षक अथवा श्री गणेश लांगरी संपर्क करे तो तत्काल इसकी सूचना ब्यूरो को देवे।

तत्पश्चात् दिनांक 13–2–2023 को समय करीब 9.31 एएम पर परिवादी ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस निरीक्षक से वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि "थानेदार साहब और गणेश लांगरी ने अब तक मेरे से कोई संपर्क नहीं किया है और मुझे लगता है अब वो मेरे से रिश्वत राशि की ना तो मांग करेंगे और ना ही रिश्वत राशि ग्रहण करेंगे, उनको मेरे द्वारा करवायी जा रही कार्यवाही की भनक लग चुकी है।" परिवादी के उक्त कथन एवं अब तक के हालात से आरोपी के द्वारा रिश्वत ली जाने की संभावना नहीं होने से परिवादी को ब्यूरो पर उपस्थित होने हेतु तलब किया गया तो

परिवादी ने बताया कि "मेरे कोई सामाजिक कार्य है, जिससे मैं फ्री होकर आपसे आकर मिल लूंगा।"

तत्पश्चात् दिनांक 23–2–2023 को समय करीब 9.25 एएम पर आरोपी श्री गणेशलाल लोकसेवक की परिधि में आता है अथवा नहीं, इसकी पुष्टि करने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर के नाम पत्र कमांक 691 दिनांक 17–2–2023 जारी कर संबंधित कार्यालय को भिजवाया गया। जिसके कम में कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर के पत्रांक 246 दिनांक 20–2–2023 के संलग्न पुलिस थाना ओगणा के मैस में लगे अंशकालीन लांगरी का विगत 6 माह पारिश्रमिक बिल (किता–11) की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुई। जिसका अवलोकन करने पर पाया कि श्री गणेशलाल पिता श्री रोडीलाल उम्र 51 वर्ष निवासी गांव ओगणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर का रहने वाला होकर पुलिस थाना ओगणा के माह जनवरी 2023 के लांगरी (कुक) पारिश्रमिक बिल का भुगतान श्री गणेशलाल के द्वारा खाता सं. 83075298864 में किया गया। उक्त सूचना/रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से श्री गणेशलाल लोकसेवक की परिधि में आना पाया जाता है एवं परिवादी से भी अब तक आरोपी श्री गणेशलाल के द्वारा संपर्क नहीं किया है। जिस हेतु परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की तलबी की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। तत्पश्चात् समय करीब 9.35 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी को जरिये दूरभाष संपर्क कर ब्यूरो पर उपस्थित होने के निर्देश दिये तो परिवादी ने भी कहा कि मैं भी सामाजिक कार्य से फ्री हो चुका हूँ और गणेशलाल अथवा अन्य ने किसी ने मेरे से रिश्वत के संबंध में संपर्क नहीं किया है। साथ ही परिवादी ने बताया कि मैं एक डेढ घंटे में ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित हो रहा हूँ। तत्पश्चात् समय करीब 11.00 एएम पर परिवादी ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुआ। जिसे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात पूर्व में पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल एवं श्री भगवतीलाल की भी जरिये दूरभाष तलबी की गयी। तत्पश्चात् समय करीब 11.15 एएम पर नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल एवं श्री भगवतीलाल उपस्थित कार्यालय हुए। जिन्हें कार्यालय कक्ष में ही बैठाया गया। स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ही परिवादी ने बताया कि गणेशलाल मेरे से रिश्वत की मांग नहीं कर रहा है और अब तक मेरे से संपर्क नहीं किया है। आरोपी के द्वारा परिवादी से रिश्वत ली जाने की संभावना नहीं है और उक्त कार्यवाही में परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की जानी है। जिस हेतु कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित हालात में रखे डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मंगवाया जाकर समय 11.25 एएम पर उपस्थितिन् के समक्ष ही उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा उसमें परिवादी एवं आरोपी के मध्य दिनांक 27–1–2023 की रिकॉर्डशुदा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की श्री सुरेश कानि से मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर श्री सुरेश कानि से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवायी गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् समय करीब 2.00 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री गणेशलाल के मध्य दिनांक 28–1–2022 को हुई मोबाइल वार्ता, जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उपस्थितिन् के समक्ष ही उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा उसमें रिकॉर्ड उक्त वार्ता की श्री सुरेश कानि से मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर श्री सुरेश कानि से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवायी गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् समय करीब 2.25 पीएम पर परिवादी एवं श्री रामनारायण थानाधिकारी के मध्य दिनांक 28–1–2022 को आमने सामने हुई वार्ता, जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उपस्थितिन् के समक्ष ही उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा उसमें रिकॉर्ड उक्त वार्ता की श्री सुरेश कानि से मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर श्री सुरेश कानि से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवायी गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर

सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् समय करीब 4.30 पीएम पर परिवादी एवं पुलिस थाना ओगणा के पुलिसकर्मी के मध्य दिनांक 29–1–2022 को हुई वार्ता, जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उपस्थितिन् के समक्ष ही उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा उसमें रिकॉर्ड उक्त वार्ता की श्री सुरेश कानि से मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर श्री सुरेश कानि से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवायी गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् समय करीब 6.30 पीएम पर उपस्थितिन के समक्ष ही ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड 'किंगस्टन कंपनी का होकर रंग काला 32 जीबी' को भी पृथक से मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर कवर संबंधितों के हस्ताक्षर करा एक कपडे की थेली मे रख सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् समय करीब 7.00 पीएम पर आरोपी के द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की जाने से परिवादी के द्वारा ब्यूरो में कार्यवाही हेतु प्रस्तुत राशि 13,000 रूपये जो कि स्वतंत्र गवाहान से एक सफेद लिफाफे में रखकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये थे। आरोपी के द्वारा उक्त रिश्वत ली जाने की संभावना नहीं होने से कार्यालय हाजा की अलमारी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। उक्त ट्रेप बॉक्स में रखे सफेद लिफाफे को स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल से निकलवाया गया। उपस्थितिन् के समक्ष ही उक्त लिफाफे को निकलवाया जाकर उसमें रखी राशि निकलवायी जाकर दोनो गवाहान से गिनवायी गयी तो 500–500 रूपये के 26 नोट कुल 13,000 रूपये मिले। उन नोटों पर अंकित नंबरों का मिलान पूर्व में मूर्तिब की गयी फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो हुबहू होना बताया। उक्त राशि 13,000 रूपये परिवादी ने अपने स्वयं के होना बताया। जिस पर उपस्थितिन् के समक्ष ही जरिये फर्द पृथक से मूर्तिब कर परिवादी को लौटाये गये। तत्पश्चात् समय 7.30 पीएम पर उक्त कार्यवाही से संबंधित आर्टिकल (सिलबंद मूल सीडीयां, मेमोरी कार्ड एवं अनसिल्ड डब सीडीयां) जमा मालखाना कराये जाने हेतु मालखाना प्रभारी श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि को दुरूस्त हालात में संभलाये गये। तत्पश्चात परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी के पुत्र श्री सोहन भगोरा जिसे दिनांक 25–1–2023 से पुलिस थाना ओगणा में निरूद्ध कर रखा था जिसको पुलिस थाना ओगणा जिला उदयपुर के लांगरी (कुक) श्री गणेशलाल लांगरी ने परिवादी के पुत्र को लूट के मुकदमें में झूठा नहीं फंसाने के नाम पर श्री गणेशलाल लांगरी ने थानाधिकारी श्री रामनारायण के लिए 25,000 रूपये रिश्वत की मांग की। दिनांक 27–1–2023 को ब्यूरो द्वारा करायी गयी मांग सत्यापन वार्ता में यह स्पष्ट है कि परिवादी के पुत्र को पुलिस थाना ओगणा में निरूद्ध कर रखा था, किन्तु थानाधिकारी श्री रामनारायण ने परिवादी से रिश्वत के संबंध में कोई वार्ता नहीं की। परिवादी की थानाधिकारी से वार्ता के उपरांत श्री गणेशलाल ने जरिये मोबाइल परिवादी को कहा कि तूझे साहब से सीधे नहीं मिलना था साहब कोई डायरेक्ट बात करते है, तू पहले मेरे को फोन करता। उक्त वार्ता से थानाधिकारी के द्वारा रिश्वत की मांग करना जाहिर नहीं होता है किन्तु परिवादी के पुत्र को पुलिस थाना ओगणा में निरूद्ध रखना थानाधिकारी की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। क्योंकि दिनांक 27–1–2023 की वार्ता के दौरान परिवादी का पुत्र थाने पर मौजूद था उसके उपरांत दिनांक 28–1–2023 को रिश्वत राशि लेनदेन के दौरान भी परिवादी का पुत्र थाने पर ही था। उक्त दिनांक की वार्ता जो परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, उक्त वार्ता में भी श्री रामनारायण थानाधिकारी के द्वारा परिवादी के पुत्र को कल (अर्थात दिनांक 29–1–2023) को पेश करने का कहा। जिसके क्रम में ही दिनांक 29–1–2023 को पुलिस थाना ओगणा से पुलिसकर्मी थाने की सरकारी जीप में परिवादी के पुत्र को साथ लेकर आये थे और उनको संबंधित न्यायालय में पेश किया जहां से परिवादी का पुत्र जमानत पर रिहा किया।

श्री रामनारायण पुलिस थाना ओगणा के थानाधिकारी के पद पर पदासीन थे। परिवादी के पुत्र श्री सोहन भगोरा जो कि पुलिस थाना ओगणा में निरूद्ध था जो कि थानाधिकारी की जानकारी में था। जिनके अधीन लांगरी श्री गणेशलाल ने परिवादी के पुत्र को लूट के मुकदमें में झूठा नहीं

फंसाने के नाम पर थानाधिकारी श्री रामनारायण के लिए 25,000 रूपये रिश्वत की मांग की। थानाधिकारी की भूमिका विस्तृत अनुसंधान से ही स्पष्ट होगी।

आरोपी श्री गणेशलाल लांगरी के द्वारा एक लोकसेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी के पुत्र श्री सोहन को लूट के मुकदमें में झूठा नहीं फंसाने के नाम पर परिवादी से श्री गणेशलाल लांगरी ने थानाधिकारी के नाम से दिनांक 27–1–2023 को 25,000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा तत्पश्चात आरोपी श्री गणेशलाल को ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करना पाया गया है।

अतः आरोपी श्री गणेशलाल पिता श्री रोडीलाल उम्र 51 वर्ष निवासी गांव ओगणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर हाल लांगरी पुलिस थाना ओगणा जिला उदयपुर के द्वारा श्री रामनारायण थानाधिकारी के लिए भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री फतेहलाल से 25,000/– रूपये रिश्तव राशि की मांग करना अन्तर्गत जुर्म धाराएं 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(डां. सोनू शेखावत)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
उदयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री गणेशलाल पुत्र श्री रोडीलाल, लांगरी, पुलिस थाना ओगणा, जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 102/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार करता कर तफ्तीश जारी है।

01/5/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 783-86 दिनांक 01.5.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

01/5/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।